मीडिया सेल

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ –226001

प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु आज सायं 06:00 बजे के बाद से प्रचार–प्रसार पर लगी रोक

मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था के साथ प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए

प्रथम चरण के मतदान हेतु 09 फरवरी को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

लखनऊ : दिनांक : 08 फरवरी, 2022

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के प्रथम चरण का निर्वाचन आगामी 10 फरवरी, 2022 को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं कोविड सुरक्षित तरीके से कराने हेतु आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाएं कराने के साथ–साथ कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रथम चरण में प्रदेश के 11 जनपदों की 58 विधान सभा सीटों के लिए प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक वोट डाले जायेंगे। प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु आज 08 फरवरी, 2022 को सायं 06:00 बजे के बाद से जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे प्रचार–प्रसार पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है और यह रोक प्रथम चरण का मतदान समाप्त होने तक अर्थात् 48 घण्टे तक प्रभावी रहेगी। प्रथम चरण के मतदान हेतु 09 फरवरी को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि प्रदेश के 11 जनपदों में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गोतमबुद्धनगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा एवं आगरा में प्रथम चरण का चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुविधा और कोविड से सुरक्षा की विशेष व्यवस्थाएं की गयी हैं। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए समुचित व्यवस्था के साथ प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

———————————————